

पत्रांक

/वैट धारा-57/08-09/आयु0क0 उत्तरारो/वाणिजकर/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(धारा-57 अनुभाग)

दिनांक :: देहरादून ०७ फरवरी 2009

सर्वश्री लालू जी एण्ड संस,
7-सी आवास विकास, हरिद्वार।

आदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा-57 के अन्तर्गत

सर्वश्री सर्वश्री लालू जी एण्ड संस, 7-सी आवास विकास, हरिद्वार द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 57 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो इस कार्यालय में दिनांक 13-05-08 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र के द्वारा व्यापारी ने अवगत कराया कि उनके द्वारा पंडाल एवं शामियाना को खड़ा करने तथा उसके विस्थापन का कार्य किया जाता है तथा वर्ष 2005-06 तक व्यापार कर अधिनियम के तहत उनके द्वारा "उपयोग करने के अधिकार" का अंतरण" के तहत वर्ष 2005-06 तक उक्त सेवा के लिये ग्राहकों से कर वसूलते हुए जमा किया जा रहा था लेकिन मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत उक्त सेवा को उपयोग करने के अधिकार का अंतरण के तहत नहीं माना जा सकता। इस संबंध में उनके द्वारा कहा गया है कि उक्त कार्य उनके द्वारा उनके ही पर्यवेक्षण में होता है तथा पंडाल एवं शामियाने पर उनका ही पूर्ण नियंत्रण रहता है। ग्राहक को इसका हस्तांतरण नहीं किया जाता। अतः उपयोग करने के अधिकार का अंतरण नहीं होता है। अतः उन पर मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर दायित्व नहीं बनता है। इस संबंध में कमिशनर, वैट दिल्ली द्वारा सर्वश्री सक्कार शामियाना सर्विसेज के मामले में दिये गये निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की प्रार्थना की गई है।

विभागीय पक्ष ज्याइंट कमिशनर (कार्यो)वाणिज्य कर, हरिद्वार द्वारा प्रेषित किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि मूल्यवर्धित कर अधिनियम एवं व्यापार कर अधिनियम दोनों में ही उपयोग करने के अधिकार का अंतरण करने की परिभाषा समान रूप से "विक्रय" तथा "विक्रय कीमत" की परिभाषा में सम्मिलित है तथा माननीय मूल्य वर्धित कर अधिकरण, दिल्ली द्वारा अपील सं 174 / ए०टी०वी०ए०टी० / 05-06 के निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि "taxability otherwise would depend upon the facts each case to be examined & determined by the Id. assessing authority" तथा सर्वश्री बाँदा टैन्ट हाउस एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एण्ड अदर्स में व्यवस्था दी गई है कि "Goods remain within the ultimate control of the owner is irrelevant for deciding whether there was a transfer of use"

अतः उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत कार्य विक्री की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अतः उक्त पर मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत 4 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू होगी।

3- व्यापारी की ओर से पक्ष समर्थन हेतु श्री संदीप गुप्ता अधिवक्ता फर्म उपरिथित हुए उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत उक्त कार्य उपयोग करने के अधिकार अंतरण के तहत नहीं आता है। न ही उक्त अधिनियम के तहत कोई सूची उपलब्ध है, जिसके तहत उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण को सम्मिलित किया गया हो। अतः इस पर मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत कोई कर देयता नहीं बनती है।

प्र.नॉ: २३६६
दिनांक: ११-२-०९

०९०२०१

4— मेरे द्वारा विभागीय पक्ष एवं अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 2की उपधारा 40 के अन्तर्गत 'विक्रय' की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है :—

"विक्रय" से उसके व्याकरणिक रूप—भेद और सजातीय पदों सहित, ऐसे माल के स्वामित्व के (बंधक, दृष्टि बंधक, प्रभार या गिरवी से भिन्न रूप में) अंतरण अभिप्रेत है, जो व्यापार या उत्पादक के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नगद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया जाये और इसके अतर्गत निम्नलिखित भी है :—

- (क) _____
- (ख) _____
- (ग) _____

(घ) नगद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) का अंतरण।

इसी तरह मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (42) के तहत "विक्रय कीमत" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :—

"विक्रय कीमत" से मूल्यवान प्रतिफल की यह धनराशि अभिप्रेत है जो व्योहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिए प्राप्त की गयी है या प्राप्त है और इसके अन्तर्गत व्योहारी द्वारा परिदान के समय या इसके पूर्व उस माल के सम्बन्ध में किसी कार्य के निमित्त प्रभारित कोई धनराशि, उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क या कोई अन्य शुल्क या कर भी होगा। इसी परिभाषा के स्पष्टीकरण में इस उपधारा के प्रयोग हेतु "विक्रय कीमत" में निम्नलिखित शामिल है :—

- (क) _____

(ख) किसी भी प्रयोजन हेतु माल के उपयोग करने के अधिकार (चाहे किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) के अंतरण के सम्बन्ध में मूल्यवान प्रतिफल या माल के उपयोग के अधिकार के ऐसे अन्तरण के लिए प्राप्त या प्राप्त भाड़ा प्रभार, किन्तु इसमें किसी करार के भंग के लिए अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति अथवा नुकसानी के रूप में देय कोई धनराशि शामिल नहीं है।

मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा—5(क) के तहत किसी गाल के किसी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अंतरण के सम्बन्ध में 4 प्रतिशत की दर से करारोपण की व्यवस्था की गयी है।

व्यापारी द्वारा यह कथन कि शामियाना या पंडाल खड़ा करने या विरथापन का कार्य उनके ही पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में होता है तथा इसका नियन्त्रण उपभोक्ता को नहीं सौंपा जाता है, केवल उसका उपयोग करने का अधिकार ही उपभोक्ता को दिया जाता है के सम्बन्ध में वैट अधिकरण दिल्ली द्वारा मैसार्स सत्कार शामियाना सर्विसेज के सम्बन्ध में दिये गये

निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि “taxability otherwise would depend upon the facts each case to be examined & determined by the Id. assessing authority” ऐसे ही एक अन्य मामले बाँदा टैन्ट हाऊस एसोशिएशन बनाम रटेट ऑफ़ यूपी० एप्ड अदर्स में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि “Goods remain within the ultimate control of the owner is irrelevant for deciding whether there was a transfer of use”

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम यूनियन ऑफ़ इण्डिया 2003 यू०पी०टी०सी० 404 में पारित आदेश में स्पष्ट किया गया कि “Handing over possession is not a *sine qua non* of completing the transfer of the right to use any goods”

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पंडाल को खड़ा करने तथा विस्थापन के कार्य में भले ही व्यापारी द्वारा पूर्ण रूप से स्वामित्व पर नियन्त्रण उपभोक्ता को नहीं सौंपा जा रहा है लेकिन उसके द्वारा उपभोक्ता को उसके इस्तेमाल करने तथा कस्टडी प्रदान करने का अधिकार दिया जा रहा है। व्यापारी द्वारा उक्त कार्य उपभोक्ता के निर्देशानुसार उसकी शर्तों पर किया जाता है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में यह बात स्पष्ट है विरान्दर्भित कार्य उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 42(ख) रो आच्छादित है, जिस पर उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा -5(क) के तहत 4 प्रतिशत के दर से करदेयता लागू होगी।

इस प्रकार उक्त प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। आदेश की प्रति व्यापारी को एवं सम्बन्धित कर-निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाय।

(वी०के० साक्षेना)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय देहरादून।

३९४१

-4-

प०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सर्वेश्वी लालू जी एण्ड सन्स, 7—सी आवास विकास, हरिद्वार।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलोस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3— एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जौन देहरादून/कुमाऊँ जौन रुद्रपुर।
- 4— एडिशनल कमिशनर (आडिट)/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 5— समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियोगीकरण कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/उद्योग/व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6— ज्वाइन्ट कमिशनर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
- 7— ज्वाइन्ट कमिशनर (विवाहित/प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
- 8— चरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनोआई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वैयसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 9— पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी०ओ०य०० परियोजना कार्यालय, आई०आई०टी० रुडकी।
- 10— संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिकर्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11— नेशनल लॉ हाउस बी—२ मॉर्डन प्लाजा विल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 12— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—१५/५ राजनगर गाजियाबाद।
- 13— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 14— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 15— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर
मुख्यालय देहरादून।
4